न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, बिरौल

दिनांक	आदेश	
01.08.2026	आज यह मुकदमा सुनवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर एक आवेदन दाखिल किये। उनका कहना है कि अब वह इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहते है और इसे वापस लेना चाहते हैं। उभय पक्ष के बीच माननीय न्यायालय के बाहर समझौता हो गया और उभय पक्ष के बीच सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सविस्तार सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित्त होता है कि परिवादी अपनी इच्छा से केस वापस लेना चाहती हैं। अतः वाद वापसी के आधार पर यह वाद **खारिज** किया जाता है तथा अभियुक्त को इस मामले से मुक्त किया जाता है। लेखापित अ.मु.न्या.दंडा.–प्रथम	